निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय का नामः- प्रखण्ड कार्यालय, बलियापुर

निरीक्षण की तिथिः-04-09-2000

दिनांक 04.09.2000 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0, उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, बलियापुर का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

।।। परिचय :

प्रखण्ड कार्यालय, बलियापुर की स्थापना दिनांक 1.4.1961 को हुई है । इससे सम्बन्धित आधार प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर द्वारा यह बताया गया कि इसकी स्थापना के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के एक पत्र में लिखा हुआ पाया गया है । इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार कर इसकी प्रति प्रखण्ड कार्यालय में रखी जाय तथा उसकी एक प्रति जिला मुख्यालय को रखने हेतु उपलब्ध करा दिया जाय ।

बलियापुर प्रखण्ड जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । इस दूरी का आकलन रेलवे स्टेशन, धनबाद से की गई है । प्रखण्ड कार्यालय, बलियापुर पंचायत के भीखराजुर मौजा में अवस्थित है, जो बलियापुर पंचायत से लगभग । किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । प्रखण्ड परिसर का अधिग्रहित रकबा 15.17 एकड़ है ।

यह प्रखण्ड झरिया-चिरकुण्डा पी0डब्लू0डी0 रोड पर अवस्थित है । बलियापुर प्रखण्ड से झरिया, तिन्द्रो एवं गोबिन्दपुर की दूरी लगभग समान रूप से 12 किलोमीटर है । बलियापुर प्रखण्ड 8 हल्कों एवं 12 पंचायतों में विभक्त है । इस प्रखण्ड से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ निम्नवत है :-

क। कुल जनसंख्या 1991। की जनगणना के अनुसार ।	:	84,728
पुरुष	:	44,429
स्त्री	:	40,299
अनुसूचित जाति	:	11,155
अनुसूचित जनजाति	:	10,671
कुल परिवारों की सं0	:	14,067
साक्षर	:	30,359
निरक्षर	:	54,369
जनसंख्या घनत्व	:	453 व्यक्ति/वर्ग कि0मी0
स्त्री/पुरुष अनुपात	:	907 प्रति हजार

लगातार-2

(ख) विद्यालय/महाविद्यालयों की संख्या :-

प्राथमिक विद्यालय	:	80
मध्य विद्यालय	:	16
बेसिक स्कूल	:	01
सरकारी उच्च विद्यालय	:	04
निजी उच्च विद्यालय	:	04
महाविद्यालय	:	01

(ग) प्रखण्ड का कुल क्षेत्रफल : 186.97 वर्ग किलोमीटर

ग्रामों का कुल क्षेत्रफल	:	44874.42 एकड़
वनों का कुल क्षेत्रफल	:	1463.31 एकड़

(घ) प्रखण्ड में भूमि की स्थिति :-

उसर और गैर कृषि योग्य भूमि	:	5871.92 एकड़
गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि	:	9830.28 एकड़
कृषि योग्य बंजरभूमि	:	2735.54 एकड़
स्थायी चारागाह भूमि	:	225.24 एकड़
अन्य परती भूमि	:	7805.07 एकड़
चालू परती भूमि	:	7036.20 एकड़

(च) कुल हल्का की संख्या : 08

(छ) कुल पंचायतों की संख्या : 12

(ज) कुल ग्रामों की संख्या : 62

चिरागी	:	61
बेचिरागी	:	01

लगातार-3

(झ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		:	01
(ट) स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या		:	17
(ठ) अन्य चिकित्सा केन्द्रों की संख्या		:	03
	आयुर्वेदिक औषधालय	:	02
	होमियो औषधालय	:	01
(ड) कुल बैंकों की संख्या		:	07
(ढ) पशु चिकित्सालय की संख्या		:	01
(त) पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की संख्या		:	02
(थ) व्यापार मंडल		:	01
	बैंक की संख्या	:	06
(द) बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या		:	8,292
	अनुसूचित जाति	:	1,197
	अनुसूचित जनजाति	:	1,545
	अन्य	:	5,550

(21) पूर्व निरीक्षण :

इस प्रखण्ड का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1.	श्री अभिमन्यु सिंह, आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग ।	04.04.1981	04.04.1981	09.09.1981
2.	श्री जे0एम0 लिंगदोह, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, राँची	08.03.1967	31.03.1967	27.06.1967
3.	श्री के0के0पी0 सिन्हा, क्षेत्रीय विकास पदा0, राँची	18.02.1972	28.03.1972	09.06.1972

लगातार-4

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षक की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
4.	श्री आर0एस0 शर्मा, उपायुक्त, धनबाद	20.01.1990	05.02.1990	30.03.1990
5.	श्री अफजल अमानुल्लाह, उपायुक्त, धनबाद	16.02.1991	19.02.1991	24.04.1991
6.	डा0 प्रदीप कुमार, उपायुक्त, धनबाद	28.07.1998	अप्राप्त	---
7.	श्री के0 वी0 रमैया, उप विकास आयुक्त, धनबाद	24.03.1992	02.04.1992	18.05.1992
8.	श्री जे0 वी0 झा, जिला विकास पदाधिकारी, धनबाद	14.01.1993	06.02.1993	22.02.1993
9.	श्री नृपेन्द्र झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद	09.06.1990	27.08.1990	26.10.1990
10.	श्री जटाशंकर चौधरी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर ।	15.12.1999	31.12.1999	02.09.2000
11.	श्री शशधर रजक, कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	14.12.1993	31.12.1993	07.01.1994

अधोहस्ताक्षरी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये निरीक्षण टिप्पणी में मात्र वर्ष, 1981 से अबतक के निरीक्षी पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है । परन्तु उसके पूर्व के निरीक्षी पदाधिकारियों के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि उसके पूर्व का निरीक्षण टिप्पणी प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । परन्तु जब निरीक्षण के क्रम में श्री जे0 एम0 लिंगदोह, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, राँची के द्वारा किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित निरीक्षण टिप्पणी को रद्दी तंचिका का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस प्रखण्ड का निरीक्षण वर्ष, 1961 में भी किया गया है । पूर्व में इस प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :-

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षी की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1.	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, राँची	25.02.1963	अप्राप्त	----
2.	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, राँची	17.01.1965	अनुपलब्ध	15.06.19965

लगातार-5

क्र०	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
3.	उपायुक्त, धनबाद	03.03.1966	अप्राप्त	----
4.	उपायुक्त, धनबाद	08.03.1970	अप्राप्त	----
5.	उपायुक्त, धनबाद	21.08.1971	अप्राप्त	----
6.	उपायुक्त, धनबाद	11.03.1973	23.11.1974	12.02.1994
7.	उप विकास आयुक्त, धनबाद	12.01.1988	09.02.1988	07.04.1988
8.	जिला विकास पदाधिकारी, धनबाद	18.12.1971	29.01.1972	02.02.1972
9.	जिला विकास पदाधिकारी, धनबाद	29.01.1988	08.03.1988	30.06.1988
10.	अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद	12.05.1966	अप्राप्त	----
11.	अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद	21.08.1970	25.10.1970	02.11.1970
12.	अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद	18.10.1984	24.11.1984	30.01.1985
13.	अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद	04.06.1988	16.06.1988	02.07.1988
14.	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, धनबाद	18.06.1992	अप्राप्त	------
15.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर	10/11.11.1966	अप्राप्त	-----
16.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर	27.11.1970	अप्राप्त	------
17.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर	11.10.1984	11.10.1984	24.01.1985
18.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर	31.12.1989	03.01.1990	26.10.1990
19.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर	13.03.1992	17.03.1992	03.08.1992
20.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर	31.12.1993	अनुपलब्ध	10.01.1994
21.	जिला लेखा पदाधिकारी, धनबाद	30.08.1983	12.01.1984	23.01.1985

लगातार-6

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
22.	कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	27/29.08.1965	अनुपलब्ध	11.01.1966
23.	कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	17.04.1985	16.07.1985	04.11.1985
24.	कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	23.09.1985	23.09.1985	30.11.1985
25.	कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	20.03.1990	02.04.1990	29.04.1990
26.	कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	25.08.1990	16.11.1990	27.12.1990
27.	कार्यालय अधीक्षक, धनबाद	04.09.1992	17.10.1992	18.12.1992

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बलियापुर प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण उपर अंकित तिथियों में किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित रक्षी संचिका प्रखण्ड कार्यालय में संधारित नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन की खोजबीन कर रक्षी संचिका में संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उसका अनुपालन निश्चित तौर पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। क्रमांक 6 पर उपायुक्त, धनबाद का अनुपालन प्रतिवेदन 21 वर्षों के बाद भेजा गया है, प्र0वि0प0दा0 इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे।

निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें बहुत सारे निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन नहीं हुआ है। जो बहुत ही खेदजनक स्थिति है। निरीक्षण का अर्थ यह होता है कि निरीक्षण के दौरान जो त्रुटियां पाई जाती है, अगर समय सीमा के अन्दर उसका अनुपालन किया जाय तो कार्यालय में गुणात्मक सुधार होगा। इस गुणात्मक सुधार से अन्य प्रखण्डों द्वारा भी इसका अनुसरण हो सकता है। निरीक्षण टिप्पणी कार्यालय स्थापना से लेकर अबतक के इतिहास, विकास एवं अन्य विषयों पर प्रकाश डालता है।

निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका के अवलोकन से पता चलता है कि सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित है। रक्षी संचिका की बाईन्डिग अच्छी है तथा उसमें लेभलिंग भी किया गया है। साथ ही रक्षी संचिका के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमणी भी किया गया है जिससे पता चलता है कि निरीक्षण टिप्पणी किस पृष्ठ पर है तथा उसका अनुपालन किस पृष्ठ पर है।

।3। प्रभार :

श्री जटा शंकर चौधरी, बिहार कृषि सेवा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर दिनांक 06.05.1999 से इस प्रखण्ड के प्रभार में हैं।

लगातार-7

इनके पूर्व श्री उदय प्रताप सिंह, अंचल अधिकारी, धनबाद बलियापुर प्रखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में थे।

14। स्थापना :

इस प्रखण्ड में पदाधिकारी/कर्मचारी/अन्य स्थापना से सम्बन्धित स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	01	01	--
2.	प्रखण्ड प्रशासन पदाधिकारी	01	01	--
3.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	01	01	--
4.	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	01	01	--
5.	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	01	01	--
6.	प्रखण्ड तांत्रिकी पर्यवेक्षक	01	01	--
7.	कनीय अभियन्ता	02	03	एक अतिरिक्त प्रतिनियुक्त
8.	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	01	--	01
9.	प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक	01	01	--
10.	मखिला प्रसार पदाधिकारी	01	01	--
11.	प्रधान सहायक	01	01	--
12.	सहायक । श्रम एवं नियोजन।	01	01	--
13.	सहायक	02	01	01
14.	शिक्षा सहायक	01	--	01
15.	सहायक।सामाजिक सुरक्षा।	01	01	--
16.	उर्दू टंकक	01	01	--

लगातार-8

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत्त बल	रिक्त
17.	उर्दू अनुवादक	01	01	--
18.	सहायक उर्दू अनुवादक	01	01	--
19.	जनसेवक	08	05	03
20.	पंचायत सेवक	12	10	02
21.	ग्राम सेविका	01	--	01
22.	ग्रेन गोला चौकीदार	01	--	01
23.	अनुसेवक	05	05	--

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जन सेवक का 3 पद, पंचायत सेवक का 2 पद, ग्राम सेविका एक पद, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी का 1 पद एवं सहायक का 1 पद रिक्त है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाय। उपरोक्त तालिका में जो स्वीकृत बल दर्शाया गया है, के सम्बन्ध में जब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पूछा गया तो वे स्पष्ट नहीं कर सकें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सम्बन्धित पत्र को प्राप्त करेंगे तथा प्रखण्ड में संधारित करेंगे।

इस प्रखण्ड में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों/अन्य का नाम, पदनाम तथा योगदान की तिथि निम्नप्रकार है :-

क्र0	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
1.	श्री जटा शंकर चौधरी	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	06.05.1999
2.	डा0 शिव शंकर ओझा	प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी	20.10.1998
3.	श्री हेमलाल हांसदा	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	06.10.1994
4.	श्री रमेश चन्द्र सिंह	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	07.07.2000
5.	श्री अवनीत कुमार सिन्हा	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	15.04.2000
6.	श्री नवल किशोर सिंह	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	18.12.1995

लगातार-2

क्र0	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
7.	श्री रमेश महतो	कनीय अभियन्ता	03.04.2000
8.	श्री अनिल प्रसाद	कनीय अभियन्ता	12.06.2000
9.	श्री राम लखन बेतरा	प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक	05.06.1995
10.	श्री ताबिर अली	प्रधान सहायक	18.09.1998
11.	श्री जगेश्वर प्रसाद सिंह	सहायक	17.08.1998
12.	श्री खलील अंसारी	नाजिर	31.08.1998
13.	श्री जितेन्द्र कुमार	सहायक	01.11.1998
14.	श्री मो0 मोईजुद्दीन	उर्दू अनुवादक	18.07.1983
15.	श्री मो0 मुख्तार अंसारी	सहायक उर्दू अनुवादक	18.07.1993
16.	श्री फूल चन्द महतो	अनुसेवक	15.01.1966
17.	श्री विजय रजवार	अनुसेवक	01.12.1967
18.	श्री मागा राम महतो	चेनमैन	01.12.1970
19.	श्री मो0 रजाउद्दीन मियाँ	जीप चालक	अनुमण्डल कार्यालय में प्रतिनियुक्त
20.	श्री अर्जुन मांझी	जनसेवक	01.07.1996
21.	श्री कैश खान	जनसेवक	01.08.1997
22.	श्री गोकर्ण प्रसाद सिंह	जनसेवक	01.08.1996
23.	श्री राजेन्द्र प्रसाद बढ़ई	जनसेवक	01.08.1997
24.	श्री बृज नन्दन प्रसाद	जनसेवक	01.07.1996
25.	श्री दिनु राम माहुरी	पंचायत सेवक	27.06.1997
26.	श्री सुरेन्द्र नाथ राय	पंचायत सेवक	01.12.1996

लगातार-10

क्र0	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
27.	श्री अब्दुल जब्बार अंसारी	पंचायत सेवक	31.07.1997
28.	श्री बसन्त कुमार महतो	पंचायत सेवक	10.06.1993
29.	श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद	पंचायत सेवक	13.11.1997
30.	श्री रामपद रोहिदास	पंचायत सेवक	01.08.1997
31.	श्री अब्दुल हमीद अंसारी	पंचायत सेवक	17.06.1996
32.	श्री सुबल चन्द्र महतो	पंचायत सेवक	04.08.1997
33.	श्री रविन्द्र नाथ मंडल	पंचायत सेवक	12.10.1998
34.	श्री जेसोई हांसदा	पंचायत सेवक	01.08.1997
35.	श्री सैयद एजाज अहमद	उर्दू टंकक	12.08.2000
36.	श्रीमती तारा देवी	अनुसेविका	25.01.1994

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मो0 मोईजुद्दीन, उर्दू अनुवादक इस प्रखण्ड में दिनांक 18.07.1983 से पदस्थापित हैं तथा मो0 मुख्तार अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक दिनांक 18.10.1993 से इस प्रखण्ड में पदस्थापित हैं । प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक प्रखण्ड में 5 साल से अधिक समय तक पदस्थापित रहना उचित प्रतीत नहीं होता है । स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद उनके स्थानान्तरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से राजभाषा विभाग, बिहार, पटना पत्र के माध्यम से अनुरोध करेंगे ।

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रखण्ड में जीप चालक का पद स्वीकृत है और यहाँ के चालक धनबाद अनुमण्डल में प्रतिनियुक्त है तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के जीप चालक के रूप में कार्य कर रहे हैं । परन्तु उनके वेतन का भुगतान प्रखण्ड कार्यालय द्वारा किया जाता है । वर्त्तमान में प्रखण्ड की जीप का संचालन एक प्राईवेट चालक द्वारा कराया जा रहा है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है । स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद अविलम्ब यहाँ जीप चालक की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव स्थापना समिति की बैठक में रखेंगे । फिलहाल जिला स्तर से एक जीप चालक की प्रतिनियुक्ति तीन दिनों के अन्दर की जायगी ताकि कार्यों के सम्पादन में कोई कठिनाई न हो ।

लगातार-11

15। स्टाफ पंजी :

प्रखण्ड में स्टाफ पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । परन्तु कुछ कर्मचारियों एवं कुछ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है । उदाहरण स्वरूप श्री रमेश महतो, कनीय अभियन्ता, श्री अवनीश कुमार सिन्हा, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक तथा सैयद रफाज अहमद, उर्दू टंकक का स्थायी पता, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सारी सूचनाएँ संकलित कर इसका संधारण सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित तौर पर उपलब्ध करायेंगे ।

16। सेवा पुस्तिका :

सेवा पुस्तिका अनुसूची-53 फार्म-80 एस0जी0बी0 फार्म नं0-239 प्रपत्र में संधारित है । सभी कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका के सम्बन्ध में एक पंजी संधारित की गई है जिसके प्रथम पृष्ठ पर तत्कालीन प्रधान सहायक श्री राम नारायण चौधरी, जिनका स्थानान्तरण बाघमारा अंचल हो गया है, के सेवा पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है परन्तु उसपर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है । इसी तरह की स्थिति अन्य मामलों में पाई गई । ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण के पूर्व मात्र खानापूरी करते हुए संधारित की गई है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी स्तम्भों को भरकर अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अगर कोई पदाधिकारी अथवा कर्मचारी दूसरे जगह स्थानान्तरित होकर चले जाते हैं तो उसका उल्लेख करना आवश्यक है कि किस पत्र द्वारा सेवा पुस्तिका भेजा गया है ।

सेवा पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका विहित प्रपत्र में संधारित रहे । वेतन निर्धारण एवं सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशनादि मामले में सेवा पुस्तिका का महत्व अत्यधिक है ।

इस प्रखण्ड में 10 पंचायत सेवक पदस्थापित हैं परन्तु मात्र 8 पंचायत सेवक की सेवा पुस्तिका उपलब्ध है । शेष दो पंचायत सेवक की सेवा पुस्तिका के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवश्यक जाँच हेतु भेजा गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वह किस पत्र संख्या तथा किस तिथि को भेजी गई है उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें ।

मो0 मुख्तार अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक, मो0 मोईजुद्दीन, उर्दू अनुवादक एवं श्री हेम लाल हाँसदा, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका उपलब्ध है । अन्य किसी का सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यालय के पत्रांक 1239 दिनांक 26.7.2000 के द्वारा सहायक, अनुसेवक, जनसेवक की सेवा पुस्तिका सिविल लिस्ट तैयार करने हेतु जिला में भेजा गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्रांक 1239 दिनांक 26.7.2000 द्वारा स्थापना उपलब्धता को कुल 14 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भेजने का उल्लेख है । कार्यालय अधीक्षक, श्री तरुण कुमार सिन्हा एवं जिला सेवा पदाधिकारी

लगातार-12

श्री इन्दुभूषण शर्मा अकेला प्रखण्ड से प्राप्त सेवा पुस्तिका के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायेंगे कि वास्तव में सेवा पुस्तिका तथाकथित पत्र के द्वारा जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं। साथ ही यह प्रतिवेदित करेंगे कि सभी सेवा पुस्तिका का सत्यापन 31.3.2000 तक किया गया है नहीं। नियमतः सेवा पुस्तिका का सत्यापन साल में दो बार किया जाना है। इसका अनुपालन हुआ है या नहीं, इसे भी प्रतिवेदन में अंकित करेंगे।

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि श्री रमेश महतो, कनीय अभियन्ता एवं श्री सैयद एजाज अहमद, उर्दू टंकक की सेवा पुस्तिका पूर्व पदस्थापित स्थान क्रमशः तुपौल एवं झरिया प्रखण्ड से अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।

17। सामान्य भविष्य निधि पास बुक :

प्रखण्ड में पदस्थापित 10 पंचायत सेवकों में से तीन पंचायत सेवक यथा सुका चन्द्र महतो, जेतोई हांसदा एवं रविन्द्र नाथ मंडल का सामान्य भविष्य निधि पास बुक प्रखण्ड में उपलब्ध नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि किन कारणों से इनका पास बु प्रखण्ड में उपलब्ध नहीं है।

सभी जनसेवकों, मो0 मोईजुद्दीन, उर्दू अनुवादक, मो0 मुख्तार अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक तथा श्री खलील अंसारी, सहायक का पास बुक प्रखण्ड में उपलब्ध है। श्री सैयद एजाज अहमद, उर्दू टंकक का पास बुक झरिया प्रखण्ड से नहीं भेजा गया है। इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि झरिया प्रखण्ड को पास बुक उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।

उपलब्ध पास बुक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माह जुलाई, 2000 में भविष्य निधि में कटौती की गई राशि का उल्लेख पास बुक में अंकित किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी कर्मचारियों का भविष्य निधि में कटौती की गई राशि का अद्यतन कटौती विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय, धनबाद को भेज दें तथा भविष्य निधि में जमा राशि का कम्प्यूटरीकृत अद्यतन लेखा विवरणी प्राप्त कर लें। इसका अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित तौर पर उपलब्ध करावें।

18। वेतन वृद्धि पंजी :

प्रखण्ड में वेतन वृद्धि पंजी संधारित है। सभी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में उल्लेख अंकित किया गया है।

19। सेवा निवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी सूचना पंजी :

प्रखण्ड में सेवा निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक सूचना पंजी संधारित की गई है। इस पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि

लगातार-13

श्री विनोद बिहारी महतो, पंचायत सेवक दिनांक 31.12.99 को सेवा निवृत्त हुए हैं । उनके कालबद्ध प्रोन्नति को सम्पुष्टि हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद को भेजा गया है एवं भविष्य निधि कटौती विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय, धनबाद को भेजा गया है । जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि दो दिनों के अन्दर कालबद्ध प्रोन्नति को सम्पुष्टि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे । साथ जिला भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी इनके भविष्य निधि में कटौती की गई राशि का अन्तिम भुगतान की कार्रवाई दो दिनों के अन्दर सम्पन्न करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ।

इस क्रम में पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि श्री दिनु राम माहुरी, पंचायत सेवक के सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में सूचना अंकित की गई है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके सेवा निवृत्ति के पश्चात भुगतान सम्बन्धी सारी औपचारिकताएँ समय-सीमा के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे ।

॥10॥ प्रतिभूति बंध पत्र :

नियमानुसार प्रखण्ड नाजिर को 500/- रू0 एवं प्रधान सहायक-सह-लेखापाल को 250/- रू0 के रूप में जमानती राशि के रूप में जमा करना है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि अभीतक इसका अनुपालन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि 24 घन्टे के अन्दर सम्बन्धित कर्मचारियों से जमानती राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित तौर पर उपलब्ध करायेंगे । निरीक्षण के दौरान यह भी जानकारी मिली कि प्रतिभूति बंध पत्र के सम्बन्ध में भी अनुपालन नहीं किया गया है । सामान्यत: प्रतिभूति बंध पत्र विहित प्रपत्र में निबन्धन कार्यालय से निबंधित कराकर प्रखण्ड कार्यालय में रखना है । इसका उद्देश्य यही है कि सम्बन्धित कर्मचारी/नाजिर अगर सरकारी राशि का गबन करता है तो उनके पैतृक सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति से वसूली की जा सकती है । इस सम्बन्ध में कार्यालय अधीक्षक श्री तरूण कुमार सिन्हा सभी प्रखण्डों को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में भेजवाना सुनिश्चित करेंगे ।

॥11॥ पत्राचार :

प्रखण्ड में पत्राचार पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नांकित पंजियाँ तैयारित की गई है :-

॥क॥ अनुक्रमणिका पंजी

॥ख॥ प्राप्त पत्रों की पंजी-॥1॥ साधारण ॥1॥ मुख्य

॥ग॥ निर्गत पत्रों की पंजी-॥1॥ साधारण ॥1॥ मुख्य

लगातार-14

(घ) प्राप्त पत्रों की लम्बित पंजी

(च) निर्गत पत्रों की लम्बित पंजी

(छ) सहायकों की कर्म पुस्तिका

(क) अनुक्रमणिका पंजी :-

प्रकरण में अनुक्रमणिका पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है तथा इसमें 32 विषयों पर सूचिका होने का उल्लेख किया गया है।

(ख) प्राप्त पत्रों की पंजी :-

प्राप्त पत्रों की साधारण एवं मुख्य पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है तथा पंजी के सारे स्तम्भों सही ढंग से भरा गया है। विगत तीन वर्षों में प्राप्त पत्रों की स्थिति निम्नवत रूप में पाई गई :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या
1998	866
1999	568
2000	898(2.9.2000 तक)

(ग) निर्गत पत्रों की पंजी :-

निर्गत पत्रों की साधारण एवं मुख्य पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। इस पंजी के सभी स्तम्भ भरा हुआ नहीं पाया गया। इतना ही नहीं पत्र के सामने उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है का उल्लेख किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं है। विगत तीन वर्षों में निर्गत किये गये पत्रों की स्थिति निम्नवत रूप में पाई गई :-

वर्ष	निर्गत पत्रों की संख्या
1998	1587
1999	1298
2000	1563(2.9.2000 तक)

लगातार-15

उपरोक्त प्राप्त एवं निर्गत पत्रों से स्पष्ट होता है कि वर्ष, 2000 में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इससे कार्यों की प्रगति के बारे में पता चलता है।

(घ) प्राप्त पत्रों की लम्बित पंजी एवं (च) निर्गत पत्रों की लम्बित पंजी :-

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की लम्बित पंजी प्रखण्ड में संधारित की गई है। परन्तु जो आँकड़े पंजी में दर्शायी गई है उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सभी सहायकों के पास कितने अभिलेख, कितने संचिकाएँ एवं कितने पंजी है। प्रधान सहायक सभी सहायकों का टेबुल निरीक्षण कर 15 दिनों के अन्दर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि किस सहायक के पास कितने अभिलेख, कितने संचिकाएँ एवं कितने पंजी हैं। सभी सहायक को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि उनके पास कितनी संचिकायें, कितने अभिलेख एवं कितने पंजी है। इतना ही नहीं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक को यह मालूम रहना चाहिए कि पूरे प्रखण्ड कार्यालय में कितने संचिकायें, कितने अभिलेख, कितने रक्षी संचिकाएँ तथा कितने पंजियाँ है।

(छ) सहायकों की कर्म पुस्तिका :-

प्रखण्ड में सभी सहायकों की कर्म पुस्तिका विहित प्रपत्र में संधारित है। अभी तक अन्य प्रखण्डों की तुलना में इस प्रखण्ड में कर्म पुस्तिका के संधारण में जो प्रक्रिया अपनायी गई है, वह बहुत ही अच्छा है। इतना ही नहीं प्रत्येक माह के अन्त में लम्बित पत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ लाल स्याही से अंकित किया गया है जो सराहनीय कार्य है। आशा है कि भविष्य में इस परम्परा को बरकरार रखेंगे।

(12) रक्षी संचिका :-

इस प्रखण्ड में कुल 59 रक्षी संचिका संधारित है। रक्षी संचिका में महत्वपूर्ण समस्याओं पर सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन एवं अन्य सुझाव को एक जगह रक्षी संचिका में संधारित होना चाहिए। इससे कार्य नियमानुकूल होता है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सही ढंग से होता है। यह सभी रक्षी संचिका वर्षवार, विषयवार वर्गीकरण कर सम्बन्धित सहायक के पास रखना चाहिए ताकि सम्बन्धित सहायक जिन विषयों को संधारण करते हैं, उसके सम्बन्ध से पूर्ण रूप से अवगत हो जायें। प्रत्येक रक्षी संचिका के प्रथम पृष्ठ पर सभी पत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरणी रहना चाहिए। इन सभी बिन्दुओं का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित तौर पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

(13) प्रधान सहायक नोट बुक :

प्रधान सहायक नोट बुक प्रखण्ड में संधारित है परन्तु मात्र कुछ पत्रों का उल्लेख है। इसमें दिनांक 12.7.2000 के बाद कुछ भी नहीं अंकित है।

लगातार-16

प्रधान सहायक नोट बुक का अर्थ सही मायने में यही है कि उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश को नोट करना तथा महत्वपूर्ण का उल्लेख करते हुए उसका अनुपालन करना । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

(14) कर्मचारियों के बीच कार्यों का बंटवारा :

अनुक्रमणिका पंजी में 25 विषयों पर संचिका खोले जाने का उल्लेख किया गया है । परन्तु कर्मचारियों के बीच जो कार्यों का बंटवारा किया गया है, वह 46 विषयों पर किया गया है । इस प्रकार अनुक्रमणिका पंजी एवं कार्यों के बंटवारा में विसंगति दिखाई पड़ती है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह विसंगति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्यों के कारण हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अनुक्रमणिका पंजी और कार्यों के बंटवारा के बीच जो विसंगति है, उसका विश्लेषण करें तथा विसंगति को दूर कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

(15) पंजियों की पंजी :

इस प्रखण्ड में पंजियों की पंजी संधारित नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसे संधारित करना सुनिश्चित करेंगे ।

(16) भंडार पंजी :

इस प्रखण्ड में एक अस्थायी भंडार पंजी है जो सीमेन्ट के सम्बन्ध में संधारित हुआ है । प्रखण्ड में भंडार पंजी संधारित रहना चाहिए जिसमें प्रखण्ड के उपस्करों, बिजली के सामानों इत्यादि का उल्लेख पंजी में किया जाना चाहिए । इसे दो प्रति रखना है यथा एक नाजिर के पास एवं दूसरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास ।

(17) अवकाश पंजी :

इस प्रखण्ड में अवकाश पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है ।

(18) उपस्थिति पंजी :

निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी की स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपस्थिति पंजी को 24 घन्टे के अन्दर बाईन्डिंग कराना सुनिश्चित करेंगे । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कहीं-कहीं उपस्थिति को मार्क नहीं किया गया है, उसमें

लगातार-17

मात्र चिन्हु अंकित किया गया है । दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 2000 को श्री राम लखन बेलरा, प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक एवं श्रीमती तारा देवी, अनुसेविका की उपस्थिति काटा गया है । उसी तरह जुलाई माह में दिनांक 25 से लेकर 29 तक श्री रमेश चन्द्र सिंह, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की उपस्थिति स्तम्भ खाली पाया गया । क्षेत्रीय स्थिति श्री नवल किशोर सिंह के दिनांक 31.7.2000 के उपस्थिति स्तम्भ में भी पायी गई । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन उपस्थिति पंजी की जांच करेंगे तथा जो जिस दिन नहीं आते हैं, उनकी उपस्थिति को काटते हुए स्पष्टीकरण पूछने की कार्रवाई करेंगे तथा वेतन अवरुद्ध करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे ।

।19। प्रतिवेदन एवं विवरणी :

इस प्रखण्ड में एक पंजी संधारित की गई है । परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कक्ष में कार्ड बोर्ड में तालिका के रूप में नहीं लटकाया गया है । वस्तुतः विभिन्न स्तरों पर भेजे जाने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सूचनाएँ एक तालिका में दर्शाते हुए उसे एक कार्ड बोर्ड चिपका कर उसकी एक प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कक्ष में तथा उसकी दूसरी प्रति प्रधान सहायक के कमरे में लटकाया जाना चाहिए। साथ ही समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर बैठक में भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इसमें दर्शाया जाना चाहिए । इससे कार्यों में अपेक्षित सुधार होता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति का इन्तजार नहीं करेंगे तथा आज की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

।20। सुनिश्चित रोजगार योजना :

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वर्त्तमान में इस प्रखण्ड में कुल 13 योजनाएँ लम्बित है । प्रखण्ड विकास पदा0 को निदेश दिया जाता है कि इस माह में लम्बित योजनाओं को पूर्ण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित तौर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरणी परिशिष्ट " क" पर द्रष्टव्य है ।

।21। इंदिरा आवास योजना :

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वर्त्तमान में इस प्रखण्ड में कुल 268 योजनाएँ लम्बित है जिसमें से 113 मामले में छत की ढलाई हो चुकी है । शेष योजनाओं में कार्य प्रगति पर है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने यह भी बताया कि इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कुल 22,16,528.00 रू0 की आवश्यकता है । योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य है ।

लगातार-18

122। कच्चे आवासों का अपग्रेडेशन :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस मद में जिला प्राप्त आवंटन 16,57,000.00 के अनुसार 165 का लक्ष्य निर्धारित होता है, जिसमें से प्रथम चरण में 72 लाभान्वितों की सूची जिला से प्राप्त है । शेष लाभान्वितों की सूची स्वीकृति हेतु जिला को भेजा गया है जिसपर स्वीकृत्यादेश अप्राप्त है । जिला से स्वीकृत 72 योजनाओं में से 41 योजनाओं में छत की ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है । इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य है ।

123। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :

इस योजना के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई कि इस योजना के तहत प्रखण्ड में कुल 21 स्वयं सहायता का गठन किया गया है जिसमें से 11 समूह का बैंक में खाता खोल दिया गया है । इस क्रम में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 203 स्वरोजगारियों का चयन किया गया है जिसमें से 127 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किया गया है । 81 स्वरोजगारियों में 19.225 लाख रु0 का ऋण स्वीकृत किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण का वितरण सुनिश्चित करेंगे ।

124। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 2,85,000.00 रु0 बचा हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि लाभान्वितों को चयन कर अभिलेख जिला को भेजा गया है । स्वीकृत्यादेश जिला स्तर पर लम्बित है जिसके कारण इसका वितरण नहीं किया जा सका है । सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया जाता है कि बलियापुर प्रखण्ड से सम्बन्धित जो भी अभिलेख लम्बित हैं, उसको स्वीकृति हेतु अधीहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें ।

125। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :

इस मद में अभी भी 7,24,267.00 रु0 भुगतान हेतु लम्बित है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है इसके भुगतान की दिशा अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ।

125। मातृत्व लाभ योजना :

इस प्रखण्ड में इस मद में अभी भी 12,800/- रु0 भुगतान हेतु लम्बित है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

लगातार-19

126। प्रोत्साहन भत्ता :

इस प्रखण्ड में अभी भी 70,000/- रु० की राशि भुगतान हेतु लम्बित है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब इसका भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

127। बालिका समृद्धि योजना :

इस मद प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत वितरण कर दिया गया है । मात्र 450.00 रु० अवशेष बचा हुआ है ।

128। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस मद में कुल 20 योजनाएँ लम्बित है । साथ ही 2,74,670.00 रु० अवशेष बची हुई है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसे व्ययगत करना सुनिश्चित करेंगे । इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य है ।

129। छात्रवृत्ति पंजी :

इस प्रखण्ड में वर्ग-1 से 6 तक तथा वर्ग-7 से 10 तक अलग-अलग पंजी संधारित है । छात्रवृत्ति पंजी के अवलोकन से यह पता चलता है कि कुछ छात्र/छात्राओं का भुगतान पंजी में हस्ताक्षर कराकर भुगतान किया गया है तथा कुछ मामलों में भाउचर द्वारा भुगतान किया गया है । यह दोनों विरोधाभाष प्रतीत होता है । भाउचर द्वारा जो भुगतान किया गया है, उसका नं० पंजी में अंकित नहीं किया गया है और न ही भाउचर में पंजी के पृष्ठ संख्या का उल्लेख किया गया है । वस्तुतः पंजी में छात्र/छात्राओं के क्रमांक के सामने भाउचर नं० एवं तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा भाउचर में सम्बन्धित पंजी का भोलुम तथा पृष्ठों की संख्या का उल्लेख रहना चाहिए । इससे इसकी जाँच करने में सहूलियत होगी । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इन पंजियों अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे ।

130। पेंशनधारियों की पंजी :

प्रखण्ड में पेंशनधारियों की पंजी संधारित है परन्तु इसपर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पृष्ठों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है । इतना ही नहीं इस पंजी की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है । एक-एक पेंशनधारियों को एक-एक पृष्ठ आवंटित किये गये हैं, परन्तु किस अवधि के लिए भुगतान किया गया है एवं किनके द्वारा पहचान किया गया है, इसका कोई उल्लेख पंजी में नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि

लगातार-20

इन सारे त्रुटियों को दूर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

131। वाहन का इतिहास बुक :

प्रखण्ड में वाहन का इतिहास पंजी संधारित नहीं है । इस सम्बन्ध में वाहन के चालक से जानकारी प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि वाहन कब प्राप्त हुआ है । ताकि इसे कन्डम कराते हुए नीलामी की कार्रवाई की जा सके ।

132। अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :

सभी फिल्ड कर्मचारियों का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संचिका में अलग-अलग संधारित कर रखी गई है ।

133। वाहन का लाग बुक :

प्रखण्ड में उपयोग किये जा रहे वाहन का लाग बुक संधारित है । परन्तु माह के अन्त में तय की गई दूरी एवं आपूर्त्ति किये गये ईंधन से औसतन प्रति लीटर तय किये गये दूरी के सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । जो नियमानुसार किया जाना है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इन त्रुटियों को दूर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

134। मापी पुस्तिका निर्गत पंजी :

प्रखण्ड में मापी पुस्तिका पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । प्रखण्ड में क्रियान्वित योजनाओं के लिए निर्गत किये गये मापी पुस्तिका को इस पंजी में प्रविष्टि की जाती है ।

135। बजट कंट्रोल पंजी :

इस प्रखण्ड में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । प्रखण्ड में प्राप्त आवंटन एवं व्यय का लेखा-जोखा इस पंजी में विधिवत संधारित किया जाता है । विभिन्न शीर्षों के लिए अलग-अलग पंजी संधारित की गई है ।

136। वेतन भुगतान पंजी :

इस प्रखण्ड में वेतन भुगतान पंजी शीर्षवार अलग-अलग पंजी संधारित की गई है जो विहित प्रपत्र में है । उदाहरण स्वरूप 2515-ओ०आर०डी०पी०, 2515-ओ०आर०डी०पी० (पंचायती राज), 2505-जे०आर०वाई० (इंदिरा आवास योजना), 2235-एस०एस०डब्लू०, 2053-जिला प्रशासन इत्यादि ।

लगातार-21

(37) लोकसभा/विधान सभा प्रश्न :

इस प्रखण्ड में एक पंजी संधारित है । वर्त्तमान में इस प्रखण्ड में लोकसभा/विधान सभा से सम्बन्धित प्रश्न लम्बित नहीं है ।

(38) उच्च न्यायालय के मामले :

इस प्रखण्ड में माननीय उच्च न्यायालय के मामले लम्बित नहीं पाये गये ।

(39) अंकेक्षण :

प्रखण्ड में अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन हेतु एक पंजी संधारित की गई है । पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चि अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय । इस प्रखण्ड का मई, 2000 में महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण किया गया है परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है । प्रखण्ड प पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि महालेखाकार को पत्र लिखकर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की दिशा में पहल करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन तत्स सुनिश्चित करेंगे ।

(40) रोकड़ बही :

इस प्रखण्ड में सामान्य रोकड़ बही बिहार वित्त नियमावली के तहत फारम-528 अनुसूची-14 में संधारित है।यह रोकड़ बही दिनांक 30- से प्रारम्भ की गई है । रोकड़ बही के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस प्रखण्ड में कुल 24 मदों में राशि रखी गई तथा इसके लिए अनुपूरक रोकड़ बही क शीर्षवार अलग-अलग किया गया है । निरीक्षण के दिन रोकड़ बही में शीर्षवार अवशेष राशि की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई ।

क्र0	शीर्ष का नाम	अवशेष राशि
1.	2515- ओ0आर0डी0पी0	30,845.00
2.	2515- ओ0आर0डी0पी0 (पंचायती राज)	---
3.	2505- जे0आर0वाई (इंदिरा आवास योजना)	17,58,660.98
4.	2225- कल्याण	1,30,934.00

लगातार-22

क्र0	शीर्ष का नाम	अवशेष राशि
5.	2235- एस0 एस0 डब्लू0	46,350.00
6.	2702- एम0 आई0	4,520.51
7.	2202- शिक्षा	1,36,658.33
8.	2053- जिला प्रशासन	28,810.50
9.	2230- श्रम एवं नियोजन	1,900.00
10.	2515-4।सांसद। फन्ड	----
11.	सुनिश्चित रोजगार योजना	16,95,770.88
12.	पंचायत समिति	814.01
13.	249-सूद	2,91,050.30
14.	2015-निर्वाचन	55,283.04
15.	विविध	18,110.40
16.	2401- कृषि	9,800.00
17.	2236- ।एम।बालिका समृद्धि	450.00
18.	गंगा कल्याण योजना	-------
19.	2515- ।विधायक। फन्ड	-------
20.	2515- आई0 आर0 डी0 पी0	2,40,266.64
21.	राष्ट्रीय पेंशन	10,22,068.96
22.	2505-जवाहर रोजगार योजना-15 प्रतिशत	2,08,856.00
23.	2505- जवाहर रोजगार योजना-20 प्रतिशत	2,18,048.96
24.	10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत	449.50
		कुल:- 58,99,648.01

लगातार-23

रोकड़ बही के अनुसार अवशेष राशि की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

(क)	बैंक में जमा राशि :-	51,74,825.85
(ख)	अभिक्रय के रूप में :-	4,30,231.20
(ग)	अग्रिम के रूप में:-सामान्य	2,66,206.00
	जनगणना	21,200.00
(घ)	सिंगल लॉक में :-	7,184.96
	कुल:-	58,99,648.01

रोकड़ बही के अवलोकन से पता चलता है कि शीर्ष 2702-एम0आई0 में 4,520.51, 2202-शिक्षा में 1,36,658.33, 2230-श्रम एवं नियोजन में 1,900.00 रू0, विविध में 18,110.40, पंचायत समिति में 814.01, 2015-निर्वाचन में 55,283.04, 2401-कृषि में 9,800.00 रू0, 2515-आई0आर0डी0पी0 में 2,40,266.64 , 2505-जवाहर रोजगार योजना 15 प्रतिशत में 2,08,856.00, 2505-जवाहर रोजगार योजना 15 प्रतिशत में 2,18,048.96 तथा 10 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत में 449.50 रू0 सन्निहित है । उपरोक्त सभी मद के अभिलेख एवं कागजातों की छानबीन कर यह पता कर लिया जाय कि अवशेष राशि की कोई आवश्यकता तो नहीं है । अगर इस राशि की उपयोगिता नजर नहीं आती है तो कोषागार चालान के माध्यम से सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने की अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

रोकड़ बही के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि सिंगल लॉक में 7,184.96 रू0 रखा गया है जो वित्तीय अनियमितता है । विदित हो कि सिंगल लाक में जमानती राशि 500/-रू0 के समतुल्य राशि रखने का प्रावधान है । इस सम्बन्ध में निदेश भी भेजा जा चुका है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे निदेश देने के बाद भी इसका अक्षरशः पालन क्यों नहीं किया । साथ ही दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(4.1) बैंक खाता का सत्यापन :

निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न बैंकों रखी गई राशि का बैंकवार दिनांक 3.9.2000 तक की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

लगातार-24

क्र0	बैंक का नाम	खाता संख्या	सन्निहित राशि
1.	बैंक आफ इंडिया, मोको	259	9,66,305.71
2.	- वही -	1581	17,19,481.60
3.	- वही -	1578	1,24,801.11
4.	- वही -	1796	10,34,167.00
5.	- वही -	1797	2,10,020.00
6.	- वही -	1798	2,23,880.52
			कुल:- 42,78,655.94

उपरोक्त बैंक खाता का पास बुक अवलोकन से प्रतीत होता है कि एक-एक योजना के लिए अलग-अलग पास बुक खोला गया है। परन्तु उपलब्ध पास बुक में मात्र दो पास बुक में योजना का नाम अंकित किया गया तथा शेष पास बुक पर कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं पास बुक के किसी पन्ने में लेखा अद्यतन पर बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। सबसे आश्चर्य जनक वस्तु पास बुक खाता संख्या-258 में देखने को मिला कि बैंक द्वारा पास बुक में 21,65,828.71 रु0 अंकित किया गया है तथा शाखा प्रबन्धक द्वारा बैंक सत्यापन प्रतिवेदन में भी वही राशि अंकित कर प्रेषित किया है परन्तु रोकड़ बही में 9,66,305.71 ही अंकित है। इस अन्तर के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से जब स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो वे स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। अन्ततः शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ इंडिया, मोको को प्रखण्ड कार्यालय में बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। शाखा प्रबन्धक ने बैंक लेजर की जाँच करने के उपरान्त लिपिकीय भूल बताया तथा इस गलती के लिए उनके द्वारा क्षमादान माँगा गया। शाखा प्रबन्धक को चेतावनी दी गई कि इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं किया जाय क्योंकि केन्द्र/राज्य प्रायोजित कार्यक्रम के लिए राशि प्रखण्ड को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन संशोधित कर प्रखण्ड को उपलब्ध करा दें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि इसका अनुपालन किया गया है या नहीं? उपरोक्त खाता में से खाता संख्या 1581, 1578 एवं 1798 से विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल 68,218.79 रु0 निकासी हेतु चेक काटा गया है जिसे रोकड़ बही से घटा दिया गया है। रोकड़ बही में कुल 42,10,437.15 रु0 अंकित है।

लगातार-25

क्र0	बैंक का नाम	खाता संख्या	अन्तिम राशि
7.	यू0 को0 बैंक, बलियापुर	6120/36	389.46
8.	- वही —	6121/36	4,856.00
9.	- वही —	4265/23	5,605.86
10.	यू0 को0 बैंक, मुकुन्दा	2925/15	85,082.00
11.	यू0 को0 बैंक, प्रधानखन्ता	2861/20	6,679.55
12.	केनरा बैंक, सिन्दरी	6822/30	478.00
13.	- वही —	8864	18,968.00
14.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिन्दरी	010006423	2,00,000.00
15.	कोपरेटिव बैंक, बलियापुर	1918/12	13,796.28
16.	- वही -	606/11	6,74,212.55 रोकड़ बही में 6,95,532.55 अंकित है।
			कुल:- 10,03,068.20
			सभी बैंको का कुल योग-53,91,724.64

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि कुल 16 खाता का संचालन 7 बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि योजनावार प्रत्येक खाता संख्या में छूट के रूप में अभी कितनी राशि प्राप्त हुई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विभिन्न योजना में छूट की कितनी राशि प्राप्त हुई है, उसकी विस्तृत विवरणी संकलित करते हुए योजना को प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें ताकि राशि खर्च हो सके। छूट में प्राप्त होने वाले राशि के सम्बन्ध में योजनावार अलग-अलग पास बुक खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा छूट की राशि का अलग से एक रोकड़ बही संधारित किया जाय। साथ ही प्रत्येक माह बैंक से जमा राशि का सत्यापन प्रतिवेदन भी प्राप्त किया जाय। विदित हो कि विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला गया है जिसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया है। यह अत्यन्त ही खेद का विषय है। निरीक्षण के क्रम में पता चला कि जवाहर रोजगार योजना-15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के तहत दो विभिन्न बैंकों में खाता खोला गया है। इस क्रम में यह पाया गया कि यू0 को0 बैंक,

लगातार-26

बख्तियारपुर एवं बैंक आफ इंडिया, मोकामा में जवाहर रोजगार योजना 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की राशि को रखी गई है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः एक ही बैंक में खाता का संचालन किया जाना चाहिए। इससे खाता संचालन में अनुश्रवण होता है। केनरा बैंक सिन्द्री में 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के अन्तर्गत कम राशि बची हुई है। उसे अविलम्ब बन्द किया जाय तथा उसी योजना के तहत दूसरे खाता जो संचालित है, उसमें रखा जाय। कोपरेटिभ बैंक, बख्तियारपुर के खाता संख्या-606/11 में रोकड़ बही में 6,95,532.54 रु0 अंकित है परन्तु पास बुक में 6,74,212.55 रु0 दर्ज है। इस प्रकार 21,320.00 रु0 का अन्तर परिलक्षित होता है जिसकी गहन जांच बैंक में की जा रही है।

[42] अभिश्रव :

रोकड़ बही के अवलोकन से पता चलता है कि अभिश्रव के रूप में 4,30,231.20 रु0 की राशि सामंजन हेतु लम्बित है। प्रखण्ड विकास पदा0 को निदेश दिया जाता है कि सभी अभिश्रव को शीर्षवार, वर्षवार वर्गीकरण कर सूची तैयार कर जिला कार्यालय को भेजें ताकि सरकार से आवंटन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जा सके।

[43] अग्रिम पंजी :

प्रखण्ड में एक पंजी संधारित है। पंजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कौन-कौन पदाधिकारी/कर्मचारी अग्रिम लेते हैं, उसका अनुश्रवण किया गया है। एक-एक पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए एक-एक पृष्ठ आवंटित किया गया है। अग्रिम पंजी का एक रोकड़ बही भी संधारित किया गया है। विभिन्न पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा ली गई अग्रिम की सूची परिशिष्ट "च" पर द्रष्टव्य है।

प्रखण्ड के जिन-जिन कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की राशि ली गई है, उनसे अग्रिम वसूली 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाय। अगर 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारी वसूलनीय राशि जमा नहीं करते हैं तो प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। जो पदाधिकारी/कर्मचारी जिले में ही अन्यत्र पदस्थापित हैं, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वेतन से कटौती करने हेतु पत्र द्वारा सूचित करने की कार्रवाई की जाय। अगर उसके बाद भी राशि की वसूली नहीं होती है तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। इन सभी बिन्दुओं पर अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

रोकड़ बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त प्रगणकों को 21,200/- रु0 का अग्रिम दिया गया है। इस मद में जिला में आवंटन प्राप्त हुआ है। जिला से आवंटन प्राप्त कर सभी प्रगणकों को भुगतान कराते हुए उनसे अग्रिम की राशि वसूली जाय तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय। अग्रिम सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री नवल किशोर सिंह, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पास 39,300/- रु0

लगातार-27

अग्रिम के रूप में वसूलनीय है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके वेतन से अग्रिम राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय । अगर वसूली नहीं होती है तो प्राथमिकी दर्ज करने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । इन सभी बिन्दुओं का अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विकास सम्बन्धी बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा रोकड़ बही में अंकित राशि और बैंक पास बुक में अंकित राशि में कुल लगभग 24,000 रूपये के अन्तर पाये जाने के कारण इसकी गहन छानबीन करने के लिए अनुरोध किया था । इस आलोक में जिला लेखा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था परन्तु इसमें छानबीन के उपरान्त जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है । जिला लेखा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे ।

(44) स्थल निरीक्षण :

(क) प्रखण्ड परिसर में एक बहुत पुरानी जीप पाया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसे कन्डम कराने हेतु मोटर यान निरीक्षक को पत्र द्वारा सूचित किया जाय ताकि इसकी नीलामी की कार्रवाई की जा सके ।

(ख) दोलाबर नाला पर पुलिया निर्माण :- इस योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया है । इसका प्राक्कलन 9,09,700.00 रू० की है । इस योजना में कुल मापी 7,58,968.0 रू० के विरूद्ध अद्यतन व्यय 7,04,260.00 रू० किया गया है । वर्तमान में इस योजना में दोनों ओर गार्ड वाल एवं पहुँच पथ का कार्य बाकी है । निरीक्षण के समय योजना में कार्य चल रहा था । यह योजना दो प्रखण्डों यथा निरसा प्रखण्ड एवं बलियापुर प्रखण्ड को जोड़ने का कार्य करेगा । योजना उपयोगी एवं सार्थक है । इस योजना में आर०सी०सी० का कार्य में ए०सी०सी० सीमेन्ट का उपयोग किया गया है तथा शेष भाग में रेमण्डस सीमेन्ट का उपयोग किया गया है ।

उपस्थित ग्रामीणों से इस पुलिया के निर्माण पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो सभी ने एक स्वर में कहा कि इसके बन जाने से बहुत फायदा हुआ है । क्योंकि बरसात के दिनों में नदी में पानी आ जाने से पार के टोला से सम्पर्क कट जाता था तथा अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था । ग्रामीणों द्वारा पीने के पानी की समस्या उठाते हुए एक चापाकल लगाने का अनुरोध किया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस सम्बन्ध में छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

उपस्थित ग्रामीणों से विद्यालय के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय, दोलाबर अवस्थित है जहाँ एक शिक्षक पदस्थापित हैं । परन्तु एक शिक्षक की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

लगातार-28

जन वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था का जायजा लेने पर यह पाया गया कि स्थानीय जन वितरण प्रणाली के दुकानदार श्री देवेन्द्रनाथ मराण्डी द्वारा नियमित रूप से सामग्रियों का वितरण नहीं कर रहे हैं। जानकारी के क्रम में यह पाया गया कि उपभोक्ताओं से प्रति लीटर किरासन तेल की राशि 7/- रु0 प्राप्त कर रहे हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे वितरण व्यवस्था पर सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आम उपभोक्ताओं को इस योजना से लाभ मिल सके।

(ग) स्थानीय निरीक्षण के क्रम में चालधोबा ग्राम में पहुँचा तो रजवार टोला एवं मंडल टोला के स्थानीय ग्रामीणों ने पीने की पानी की समस्या का मुद्दा उठाते हुए इसके निराकरण हेतु आग्रह किया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में छानबीन कर सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

(घ) स्थानीय निरीक्षण के क्रम में बलियापुर प्रखण्डान्तर्गत दुधिया मोड़ पर पहुँचा तो स्थानीय ग्रामीणों ने आर0ई0ओ0 द्वारा पूर्व से निर्मित दुधिया मोड़ से मोको होते हुए छोटा आमबोना पथ की जर्जर स्थिति पर प्रकाश डालते हुए इसके मरम्मति हेतु आग्रह किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आवागमन की दृष्टिकोण से यह पथ महत्वपूर्ण है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस पथ की गहन रूप से छानबीन कर विहित मार्गदर्शन के अनुरूप मरम्मति का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ताकि इसकी मरम्मति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(45) अंचल द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी :

(क) इन्दिरा आवास :-

इस योजना के तहत 31.3.2000 को कुल 534 योजनाएँ लम्बित थी जिसमें से 327 योजनाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। शेष 207 योजनाएँ में कार्य प्रगति पर है।

(ख) विधायक मद की योजनाएँ :

इस प्रखण्ड में इस मद में दो योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) जलधारा योजना :

इस योजना के तहत कूप निर्माण की 4 योजनाएँ, मीनू मस्तो की 4 योजनाएँ एवं बड़े व्यास के कूप की 3 योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।

लगातार-29

1461 तांतद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ :

इस मद में । योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है । कार्य प्रगति पर है ।

1461 सामान्य :

एक-दो मामले को छोड़कर प्रखण्ड का कार्य संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । इसमें अभी भी अपेक्षित सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है । क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान यह जानकारी मिली कि स्थानीय ग्रामीण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पहचानते तक नहीं है । इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी क्षेत्र परिभ्रमण कर ग्रामीणों की समस्या को जानने में अभिरूचि नहीं लेते हैं । प्रखण्डों में विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से विहित प्रक्रिया के तहत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की पदस्थापना की गई है।अगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी क्षेत्र परिभ्रमण नहीं करेंगे तो स्थानीय ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं से वंचित रह जायेंगे । कार्यों में सुधार लाने में अगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करते हुए नियोजित ढंग से समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कदम उठायें तो प्रखण्ड में अपेक्षित एवं गुणात्मक सुधार होने की प्रबल सम्भावना है ।

ह०/-

उपायुक्त, धनबाद ।

ज्ञापांक-4475/गो0, धनबाद, दिनांक- 25/9/2000

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद/स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर /अंचल अधिकारी, बलियापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

Majumdar 25.9.2000

उपायुक्त, धनबाद

परिशिष्ट - क

सुनिश्चित रोजगार योजना का अद्यतन प्रतिवेदन

दिनांक 1.4.2000 से 31.8.2000 तक

अभि0 सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	कुल व्यय	कुल मापी	भौतिक स्थिति
5/97-98	तेतुलटाड बस्ती से कुम्हार टोला रेलवे लाइन तक -पथ निर्माण- भाग 1.	1,67,900=00	30,000=00	30,618=00	मापी पुस्त । सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 से जांच हो चुका है। प्रमाणपत्र मुकदमा दर्ज है ।
वही	-वही - भाग 2.	1,67,900=00	30,746=00	32,165=00	मापी पुस्त । सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 से जांच हो चुका है-प्रमाण पत्र मुकदमा दर्ज है।
17/97-98	मिनु महतो उदवह सिंचाई योजना वो जोडिया खरीकाबाद के पास -मिनु महतो योजना ।	1,59,621=00	29,300=00	21,857=00	पाइप का कार्य अप साइड से किया है।
4/98-99	कुइया से भागारामपुर तक पथ निर्माण ।	5,64,000=00	29,500=00	97,768=00	कार्य बंद है।
5/98-99	झरिया बलियापुर रोड से मुकुन्दा दुर्गा मंदिर होते हुए हुचुकटाड तक पथ निर्माण	4,25,900=00	3,60,000=00	3,65,717=00	मापी पुस्त कनीय अभियंता के पास है।
1/99-2000	पलानी एवं महुल टाड के बीच नाला में पुलिया निर्माण	7,88,800=00	7,55,605=00	7,43,509=00	पहुँच पथ का कार्य बाकी है।
2/99-2000	आर0ई0ओ0 रोड सुअरिया से सरियामाठा तक पथ निर्माण	5,87,500=00	4,84,607=50	5,01,332=00	मेटल का कार्य 1350 फीट हो चुका है।पी0सी0सी0 ढलाई का कार्य 1450 फीट हो चुका है। 300 फीट कार्य बाकी है।

अभि0 सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	कुल व्यय	कुल मापी	भौतिक स्थिति
3/99-2000	बेड़ा टोला हुदुकडीह एवं निरसा प्रखण्ड से सुअरिया के बीच नाला में पुल निर्माण	6, 34, 500=00	2, 87, 650=00	1, 97, 741=00	डेक स्लैब का ढलाई हो चुका है। विंग वाल तथा गाड वाल का कार्य जारी है।
4/99-2000	मुकुन्दा झारखण्ड से तिरंगा मोड़ तक ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 निर्माण	7, 35, 850=00	6, 60, 600=00	5, 28, 774=00	2050 फीट पी0सी0सी0 का कार्य पूरा हो चुका है।
7/99-2000	दोलाबड नाला से पुला निर्माण	9, 09, 700=00	7, 04, 260=00	7, 58, 968=00	दो गाड वाल एवं पहुँच पथ का कार्य बाकी है।
8/99-2000	पहाड़पुर प्राथमिक विद्यालय भवन से पीपराकुल्ही भाया कोचा कुलही तक पथ निर्माण	7, 55, 500=00	4, 09, 000=00	3, 94, 196=00	1200 फीट में पी0सी0सी0 का कार्य पूरा 1400 फीट में ग्रेड । कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य बाकी है।
9/99-2000	बलियापुर बैंक मोड़ से मुस्लिम मुहल्ला होते हुए हरिजन टोला तक पथ निर्माण	10, 15, 800=00	10, 15, 533=00	10, 15, 513=00	पूर्ण ।
10/99-2000	हीरक रोड से महुलटाड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	15, 91, 900=00	2, 43, 225=00	2, 59, 760=00	प्रथम अभिकर्ता द्वारा ग्रेड-2 कार्य 2150 फीट एवं द्वितीय अभिकर्ता द्वारा 441 फीट में ग्रेड -1 एवं 664 फीट में पी0सी0सी0 कार्य हो चुका है।
16/95-96	प्राथमिक विद्यालय आसनबनी में दो कमरा निर्माण	1, 69, 000=00	83, 121=00	66, 793=00	कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0 के निदेशानुसार भवन का कार्य निर्माण बर्षात के बाद होगा।

परिशिष्ट - ख

इन्दिरा आवास योजना का प्रगति प्रतिवेदन

दिनांक 1.4.2000 से 31.8.2000 तक

क्र0 पंचायत का नाम	1.4.2000	1.4.2000	कुल	पूर्ण	लंबित	लंबित योजना का वरवार विवरण					प्लास्टर, दरवाजा आदि	कुल
						नींव खुदाई	प्लींथ स्तर तक	लिंटर स्तर तक	छत तक पूर्व ढलाई	छत ढलाई		
1. बलियापुर	15	01	16	-	16	01	01	03	02	09		
2. तिन्दुरपुर	32	—	32	-	32	—	01	02	09	20		
3. आमटाड	15	—	15	-	15	—	—	07	08	—		
4. परधा	19	—	19	-	19	—	—	01	08	10		
5. प्रधानखन्ता	30	—	30	-	30	—	—	02	13	15		
6. मोको	18	—	18	-	18	—	—	01	01	16		
7. पलानी	19	—	19	-	19	—	02	11	06	—		
8. दुधिया	30	—	30	-	30	—	—	02	09	19		
9, बाघमारा	16	04	20	-	20	—	02	02	08	08		
10. घडवड	32	-	32	-	32	—	01	03	12	16		
11. रघुनाथपुर	19	—	19	-	19	—	—	03	16	—		
12. बरदाहा	18	—	18	-	18	—	—	02	16	—		
योग:-	263	05	268	-	268	01	07	39	108	113		

परिशिष्ट – ग

अपग्रेडेशन इन्दिरा आवास योजना का विवरणी

1.4.2000 को लम्बित	2000-01 में ली गयी	कुल योजना	पूर्ण योजना	लम्बित योजना	योजना की भौतिक स्थिति			अभ्युक्ति
					छत ढलाई	लेन्टिंग	सामग्री का कार्य	
-	72	72	-	72	41	05	22	04 का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया

वित्तीय

1.4.2000 को लम्बित राशि	2000-01 में प्राप्त आवंटन	कुल आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि
7,50,000=00	09,07,000=00	16,57,000=00	7,04,500=00	9,52,500=00

				स्वीकृत कर कार्यालय में सूची भेजा गया	
		पत्रांक	दिनांक	पत्रांक	दिनांक
प्राप्त आवंटन के अनुसार प्रथम चरण -	72	887	10.6.2000	887	10.6.2000
द्वितीय चरण -	51	1297	01.8.2000	-	
तृतीय चरण -	43	1372	11.8.2000	-	
कुल -	166				

परिशिष्ट - घ

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे. जी. एस. वाय.) का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 1.4.2000 से 14.9.2000

पंचायत का नाम	1.4.2000 की अवशेष राशि	1.4.2000 के बाद	कुल आवंटन	व्यय मजदूरी	व्यय मेटेरियल	कुल	अवशेष राशि	1.4.2000 को लंबित	ली गयी	कुल	पूर्ण	अपूर्ण	मानव दिवस
1. प्रधानखंता	43,398/=	20,000/=	63398/=	25199/=	37822/=	63021/=	377/=	03	-	03	02	01	494
2. पलानी	36,437/=	-	36437/=	20813/=	13824/=	34637/=	1800/=	03	-	03	02	01	271
3. आमटाल	1,15,608/=	-	115608/=	29432/=	44176/=	73608/=	42000/=	05	-	05	03	02	597
4. परधा	46,361/=	157200/=	203561/=	76567/=	114733/=	191300/=	12261/=	04	01	05	03	02	1501
5. बलियापुर	68,743/=	-	68743/=	18262/=	27481/=	45743/=	23000/=	01	-	01	01	-	358
6. तिन्दुरपुर	61,684/=	-	61684/=	12651/=	19064/=	31715/=	29969/=	05	-	05	04	01	248
7. मोबी	14,732/=	-	14732/=	5408/=	8150/=	13558/=	1174/=	02	-	02	01	01	106
8. दूधिया	1,37,782/=	-	137782/=	41472/=	62306/=	103778/=	34004/=	05	01	06	04	02	813
9. बाघमारा	99,019/=	-	99019/=	26044/=	39065/=	65109/=	34000/=	03	01	04	02	02	510
10. बड़ादाहा	20,874/=	-	20874/=	8264/=	12442/=	20706/=	188/=	03	-	03	01	02	162
11. रघुनाथपुर	1,23,027/=	-	123027/=	40349/=	60619/=	100968/=	22059/=	06	-	06	02	04	791
12. धरबड़	1,92,608/=	-	192608/=	71259/=	47491/=	118750/=	73858/=	04	-	04	02	02	931
कुल :-	9,60,363/=	177200/=	1137563/=	375720/=	487173/=	862893/=	274670/=	44	03	47	27	20	6762

परिशिष्ट - च

विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित अग्रिम की सूची

क्र०	पदा०/कर्म० का नाम एवं पदनाम		राशि
1.	श्री नवीन चन्द्र महतो	सहायक -	5,000.00
2.	" सुबल चन्द्र महतो	पंचायत सेवक -	2,900.00
3.	" सुरेन्द्र राय	" " -	2,000.00
4.	" साधक मल्लिक	एन०ए०सी० -	2,740.00
5.	" श्यामापद स्वर्णकार	अनुसेवक -	17,000.00
6.	" नागेश्वर झा	प्र०स०प्र०पदा० -	325.00
7.	" मो० मुख्तार अंसारी	सहायक उर्दू अनुवादक -	662.00
8.	" सदानन्द प्रसाद	-	1,300.00
9.	" राम लेखन बेसरा	क०पय० -	31,874.00
10.	" नवल किशोर सिंह	सा०पय० -	39,300.00
11.	" रामपदो रोहिदास	पं०से० -	5,163.00
12.	" श्रीकान्त शितास	प्र०शि०प्र०पदा० -	6,251.00
13.	" अब्दुल जब्बार अंसारी	प०सेवक -	2,800.00
14.	" शामसुद्दिन अंसारी, भिखराजपुर	-	10,000.00
15.	" दयालमुखी पेन्टर	-	500.00
16.	" हेमलाल हाँसदा	प्र०कृषि पदा० -	25,000.00
17.	" बसन्त कुमार महतो	प०से० -	1,200.00

18.	श्री अब्दुल गनी	प0 सेवक	–	40.00
19.	पीठासीन पदाधिकारी		–	235.00
20.	" बेनी राम महतो	जन सेवक	–	200.00
21.	" बी0 बी0 मोदक	प0 सेवक	–	40.00
22.	" बी0 महतो	प0 सेवक	–	40.00
23.	" जी0 पाण्डेय	प0 सेवक	–	30.00
24.	" बी0बी0महतो	प0 सेवक	–	70.00
25.	" सुखदेव प्रसाद चौधरी	प0 सेवक	–	300.00
26.	" भगवान सिंह	क0 अभियन्ता, जिला परि0		36,500.00
27.	" चन्दु सिंह	ड्रायवर	–	280.00
28.	" डी0पी0 सरखेल	"	–	2,500.00
29.	" जी0पी0 सिंह	जनसेवक	–	4,700.00
30.	" एच0 एन0 भंडारी	सहायक	–	90.00
31.	" वाय0एन0 दूबे	सी0ई0ओ0	–	240.00
32.	मेसर्स दुर्गा इलेक्ट्रिक,	सिन्दरी	–	6,346.00
33.	" जलील मिस्त्री, धनबाद		–	15,600.00
34.	" जय नारायण सिंह		–	100.00
35.	" के0 के0 चड्डा		–	30.00
36.	" के0 डी0 झा	सहायक	–	379.00

:: 3 ::

37.	श्री मोती पाण्डेय	प0 सेवक	-	60.00
38.	" लाल मोहन मुखी, दुधिया		-	1,000.00
39.	" मनूर हसन	ड्राइवर	-	253.00
40.	" नवीन चन्द्र रवानी	प0 सेवक	-	50.00
41.	" राम नारायण गोस्वामी		-	50.00
42.	" आर0 एस0 चौधरी, सिन्दरी		-	4,593.00
43.	" सुखदेव घोष	सहायक	-	100.00
44.	" सुरेश चन्द्र प्रसाद, के0 कोर-5		-	150.00
45.	" सुशान्त मण्डल	प0 सेवक	-	40.00
46.	" सिनकोड़ी मालाकार	प0 सेवक	-	100.00
47.	" सुनिल कुमार डे	प0 सेवक	-	25.00
48.	मोको ग्राम पंचायत		-	20,000.00
49.	" परनू मोदी	ड्राइवर	-	500.00
50.	एस0 ओ0, पी0एच0सी0, बलियापुर		-	11,600.00
51.	" महानन्द महतो	ड्राइवर	-	2,000.00
52.	" बद्री नारायण ठाकुर	"	-	2,200.00
53.	" छट्टू यादव	"	-	1,500.00
54.	" निमाइ कालिन्दी		-	250.00

योग:- 2,66,206.00